# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
# (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत जाटावाली)

मु.न. 07/2018

**उनवान**

1. भैंरूराम मीणा पुत्र चन्दालाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम डेहरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

वादी

**बनाम**

1. गंगाराम पुत्र श्री चन्दाराम
2. नारायण पुत्र चन्दाराम
3. छीतर पुत्र चन्दा (फौत)

3/1 रूकमा देवी पत्नि छीतर

3/2 श्रवण कुमार पुत्र स्व0 छीतर मीणा

3/3 बलवी कुमार पुत्र स्व0 छीतर मीणा

3/4 शंकर लाल पुत्र स्व0 छीतर मीणा

4. रूकमा पत्नि छीतर

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम डेहरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूँ जिला जयपुर (राज.)।

प्रतिवादीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू0राजस्व अधि0 1956**

निर्णय दिनांक 10.05.2018

पत्रावली कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत जाटावाली में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट का पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम डेहरा, पटवार हल्का जाटावाली, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सामोद, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 526/2 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 524/2 रकबा 0.10 हैक्टेयर, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.20 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं जो कि सम्पूर्ण ही प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज हैं।

वाके ग्राम डेहरा, पटवार हल्का जाटावाली, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 524/3, 524/1, 527 एवं 526/1, 526/3, 525/3 की भूमि स्थित है जो कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की भूमि है तथा प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि के लगवा में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की भूमि स्थित हैं।

प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान श्रीमान तहसीलदार महोदय, चौमूं के आदेश दिनांक 14.12.2017 की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 25.01.2018 को मौके पर पहुंचकर उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष्य गै0 मु0 चाह खसरा नम्बर 438 को आधार मानकर जरीब चलाकर सीमा नापकर सभी पक्षकारान को समझाई गई थी तथा सीमाज्ञान की रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षकर करवाये गये थे, जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी अपनी खसरा नम्बरों की भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है जिस हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

अतः प्रार्थना मत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान जी से निवदेन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी के आदेश फरमानें की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थीगण आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 25.01.2018 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 25.01.2018 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत जाटावाली में सुनाया गया।

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जयपुर

Scanned by CamScanner